



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श10)
(सं० पटना 1378) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
1 जुलाई 2025

सं० 2स्था०-156/2019-1592/वि०सं०—बिहार विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-1642 दिनांक 10.06.2024 के क्रम में श्री राजीव कुमार, निदेशक, बिहार विधान सभा सचिवालय का दिनांक 30.06.2025 को संविदा आधारित नियोजन समाप्त होने के पश्चात् “बिहार विधान सभा सचिवालय (संविदा आधारित नियोजन की पद्धतियाँ) आदेश, 2024” तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-10000, दिनांक 10.07.2015, परिपत्र संख्या-11398, दिनांक 23.08.2016 एवं पत्रांक-3/एम०-12/2025सा०प्र०-7329, दिनांक 25.04.2025 में किये गये प्रावधान के आलोक में बिहार विधान सभा सचिवालय में निदेशक के पद पर दिनांक 01.07.2025 से अगले एक वर्ष यानि दिनांक 30.06.2026 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन संविदा आधारित नियोजन विस्तारित किया जाता है :-

- (क) यह नियोजन प्रोन्नत पद पर सरकारी सेवक की प्रोन्नति होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा ।
- (ख) संकल्प की कंडिका-3(2)(क)(vi) के तहत कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी और कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी ।

(ग) पूर्व से निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा ।

मानदेय का भुगतान सभा सचिवालय के मुख्य बजट शीर्ष के विपत्र कोड के अंतर्गत सविदा सेवायें के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

(घ) संकल्प की कंडिका-(4) के तहत पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

(च) संकल्प की कंडिका-(5) के तहत आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

2. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

सुधीर कुमार सिंह,

अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1378-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>